न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनिता खटीक R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 76 / 2017 निर्णय दिनांक :–30.12.19

उनवानी दावा :

1. रंगलाल पुत्र गोकुल जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील देवली, जिला टोंक राज0
2. हीरा पत्नी रंगलाल जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील देवली, जिला टोंक राज0

– वादीगण –

बनाम

1. छीतर पुत्र गोरू जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील देवली, जिला टोंक राज0
2. सूरजमल पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील देवली, जिला टोंक राज0
3. देवलाल पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील देवली, जिला टोंक राज0
4. गंगा पत्नी छीतर जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील देवली, जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री प्रकाश चन्द जैन
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी ख0नं0 157 रकबा 0.15 है0, ख. नं. 158 रकबा 0.37 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का राजकोट तहसील देवली जिला–टोंक में स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण ने सुरक्षा हेतु तारबन्दी कर रखी है । वादीगण की उक्त खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना एवं संबंध नहीं है और न ही कब्जा है परन्तु उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण, वादीगण की उक्त आराजीयासत पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा प्रतिवादीगण, आये दिन वादीगण की भूमि पर हो रही तारबंदी को उखाड़ देते है तथा नुकसान पहुंचाते है तथा वादीगण द्वारा मना करने पर गाली गलोच व लड़ाई–झगडा करते है तथा वादीगण के कब्जेकाश्त एवं उपयोग उपभोग में मजामहत करते है तथा वादीगण की भूमि को अपनी भूमि पर मिलाना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा हमेंशा के लिए पाबंद किया जावें कि वे स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर–चाकर या पारिवारिक सदस्यों से वादी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें, वादी के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादीगण को उक्त आराजी में फसल काश्त करने, हांकने–जोतने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादी के साथ लडाई–झगडा नहीं करे तथा पाबंद रहें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी मे नियत की गई।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू –1 रंगलाल पुत्र गोकुल वादी संख्या निवासी गोपालपुरा का पेश किया। वादीगण ने प्रदर्श करवाये।

प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस खसरा नं. 157, 158 प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 करवाये।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। यदि प्रतिवादीगण ने वाद वर्णित अवैधानिक कृत्य न किये होते तो वाद में नियमित रूप से भाग लेते। अतः प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें, वादी के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उम्पन्न नहीं करे, वादी को उक्त आराजी में फसल काश्त करने, हांकने–जोतने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादी के साथ लडाई–झगडा नहीं करे तथा पाबंद रहें।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2072–75 ख0नं0 157 रकबा 0.15 है0, ख. नं. 158 रकबा 0.37 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम गोपालपुरा वादीगण की खातेदारी की भूमि है। राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी की हैसियत रखने के कारण वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का हकदार है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी ख0नं0 157 रकबा 0.15 है0, ख. नं. 158 रकबा 0.37 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का राजकोट तहसील देवली जिला–टोंक में स्वयं, अन्य माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने का प्रयास नहीं करे, वादीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादीगण द्वारा की गई तारबन्दी को तोड़कर वादी के साथ इस आराजी बाबत किसी प्रकार का लड़ाई–झगड़ा न करे। पाबन्द रहे। तद्नुसार एकपक्षीय डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम देवली व अलजाम श्री अशोक कुमार त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टो....................

उनवानी दावा :

1. रंगलाल पुत्र गोकुल जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील देवली, जिला टोंक राज0
2. हीरा पत्नी रंगलाल जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील देवली, जिला टोंक राज0

— वादीगण —

बनाम

1. छीतर पुत्र गोरू जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील देवली, जिला टोंक राज0
2. सूरजमल पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील देवली, जिला टोंक राज0
3. देवलाल पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील देवली, जिला टोंक राज0
4. गंगा पत्नी छीतर जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील देवली, जिला टोंक राज0

— प्रतिवादीगण —

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 76 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्रीमती अनिता खटीक आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री प्रकाश चन्द जैन अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 पेश होकर हुक्म दिया जाता है एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

आदेश

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी ख0नं0 157 रकबा 0.15 है0, ख. नं. 158 रकबा 0.37 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का राजकोट तहसील देवली जिला–टोंक में स्वयं, अन्य माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने का प्रयास नहीं करे, वादीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे , वादीगण द्वारा की गई तारबन्दी को तोड़कर वादी के साथ इस आराजी बाबत किसी प्रकार का लड़ाई–झगड़ा न करे। पाबन्द रहे।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 12 सन् 2019 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए